अपील भरण पोषण प्रकरण संख्या 02/2023.(GCMS : 2023/39) इन्द्रजीत कौर पत्नी स्व. श्री गुरनेक सिंह उम्र 64 वर्ष जाति जटसिख निवासी 3/48, हाऊसिंग बोर्ड, श्रीगंगानगर (राज.) बनाम 1. अमरिन्द्र सिंह पुत्र गुरनेक सिंह जाति जटसिख निवासी 3/49, हाऊसिंग बोर्ड, श्रीगंगानगर (राज.) 2. रिम्पलरीत कौर पत्नी श्री अमरिन्द्र सिंह, जाति जटसिख निवासी हजूर सिंह की ढाणी 6 जैड़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.) हाल निवासी 3/49 हाऊसिंग बोर्ड, श्रीगंगानगर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

05.07.2023

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थिया इन्द्रजीत कौर एंव रेस्पोडेंट अमरिन्द्र सिंह एवं रिम्पलरीत कौर स्वयं उपस्थित हुए। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि :

प्रार्थिया इन्द्रजीत कौर ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत इस कथन के साथ पेश किया था कि अप्रार्थी संख्या–1 अमरिन्द्र सिंह प्रार्थीया का इकलौता पुत्र है तथा अप्रार्थीया संख्या –2 प्रार्थीया की पुत्रवधु है। प्रार्थीया के पति गुरनेक सिह का देहान्त दिनांक 03.10.2020 हो चुका है। प्रार्थीया के पुत्र व पुत्रवधु प्रार्थीया व प्रार्थीया की पति की चल–अचल सम्पत्ति को दबाव से अपने नाम करवाना चाहते है जिसके चलते घर में आय दिन क्लेश करते है जिससे परेशान होकर प्रार्थीया व प्रार्थीया के पति ने अपने जीवनकाल में ही प्रार्थीया के पुत्र व पुत्रवधु को उक्त निवास स्थान के साथ चिपता हुआ मकान नम्बर 3/49, हाउसिंग बोर्ड, श्रीगंगानगर रहने के लिए दे दिया था। प्रार्थीया के पति के देहान्त के पूर्व से ही प्रार्थीया के पुत्र व पुत्रवधु ने प्रार्थीया व उसके पति का ख्याल रखना बन्द कर दिया था। प्रार्थीया की पुत्रवधु सारी सम्पत्ति अपने व अपने पति के नाम करवाना चाहती है। प्रार्थीयां की पुत्रवधु घर में क्लेश कर घर छोड़कर चली गई इस सम्बन्ध मे उसके माता–पिता से बात की तो उन्होनें घर भेजने का आश्वासन

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.20 16:21:32 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

दिया परन्तु आज तक वह ना तो घर आई और ना ही उसके बाद से प्रार्थीया का पुत्र, प्रार्थीया की देखभाल कर रहा है। प्रार्थीया मानसिक तौर पर बहुत ही आहत है। प्रार्थीया शांति प्रिय, बीमार व वृद्ध महिला है। प्रार्थीया के बार–बार समझाने व आग्रह के बावजूद भी अप्रार्थीगण के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ ओर तो ओर प्रार्थीया की पुत्रवधु घर छोड़कर चली गई। प्रार्थीया चाहती है कि दोनों अप्रार्थीगण प्रार्थीया के स्वयं के मकान में प्रार्थीया की मर्जी के बिना प्रवेश ना करे क्योंकि प्रार्थीया उम्र के अंतिम पड़ाव में शांति से जीवन जीना चाहती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्षों को सुनने के पश्चात दिनांक 01.02.2023 को अपीलार्थीया की अपील निरस्त की है, जिसके अप्रसन्नता से अपीलार्थीया ने यह अपील प्रस्तुत की है।

अपीलार्थीया का कथन है कि उसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अनुतोष की मांग की गई थी कि " प्रार्थीया को उसके स्वयं के मकान नम्बर 3/48, हाउसिंग बोर्ड, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर में शांति से रहने में अप्रार्थीगण किसी प्रकार की कोई बाधा कारित ना करें और बिना प्रार्थीया की अनुमति के अप्रार्थीगण, प्रार्थीया के उक्त मकान में प्रवेश करने से निषिद्ध रहें।" परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीया के उक्त मांगे गये अनुतोष की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया था ना ही उक्त अनुतोष के सम्बन्ध में कोई निर्णय पारित किया गया है इसलिए अपीलार्थिया ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त करने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

उसका आगे यह भी कथन [illegible] अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अंकित किया है कि मकान नम्बर 3/48 हाउसिंग बोर्ड, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है जबकि उसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दस्तावेज प्रस्तुत कि थे, परन्तु अधीनस्थ

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.20 16:21:32 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

न्यायालय द्वारा कोई ध्यान ना देकर कानूनी भूल की है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त करने की प्रार्थना की है।

उसका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 उसकी समस्त चल व अचल सम्पति दबाव से अपने नाम करवाना चाहते है व उक्त सम्पति से आने वाली आय को भी अपने कब्जे में रखते है, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ध्यान न देकर कानूनी भूल की है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय अपास्त करने की प्रार्थना की है।

उसका आगे यह भी कथन है कि वह अपना भरण पोषण करने में सक्षम है, इसलिए उसे भरण पोषण की आवश्यता नहीं है परन्तु अप्रार्थीगण, प्रार्थीया के स्वयं के मकान में प्रार्थीया की मर्जी के बिना प्रवेश ना करने और रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के आपसी झगड़े में प्रार्थीया को शामिल न करने के आदेश पारित करने की प्रार्थना की है।

इसके विपरीत अप्रार्थी संख्या अमरिन्द्र सिंह का कथन है कि वे किसी प्रकार का दबाव बनाकर प्रार्थीया की सम्पत्ति को अपने नाम से नहीं करवाना चाहता है क्योकि वह प्रार्थीया का एकमात्र पुत्र है और सम्पूर्ण सम्पत्ति का एक मात्र वारिस है।

उसका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थीया द्वारा अपील में अंकित कथन मनगढंत और निराधार है । घर परिवार मे छोटी छोटी बातों को लेकर कहासुनी होती रहती है और यह सामान्य बात है। जहां तक देखभाल करने की बात है वह हर तरह से अपील माता की देखभाल करने के तैयार है।

उसका आगे यह भी कथन है कि यदि प्रार्थीया चाहती है कि वह उनकी मर्जी के बिना घर में प्रवेश करे तो वह अपनी माता प्रार्थीया इन्द्रजीत कौर के घर में उनकी मर्जी बिना घर में प्रवेश नहीं करेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.20 16:21:32 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

इसके विपरीत अप्रार्थी संख्या 02 रिम्पलप्रीत कौर का कथन है कि उसने कभी भी प्रार्थीया की चल व अचल सम्पत्ति अपने नाम करवाने का दबाव नहीं बनाया है और ना ही इस बात को लेकर घर में क्लेश किया है। प्रार्थीय व अप्रार्थी संख्या 01 मिलकर उसे दहेज के लिए मारपीट करते है व **दहेज की मांग को लेकर पूर्व में भी महिला थाना, श्रीगंगानगर में एक एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसमें राजीनामा हो गया था** तथा कुछ समय प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 01 सही रहें किन्तु उसके बाद फिर से उसे तंग परेशान करने लगे व सोची समझी साजिश के तहत उसे वैवाहिक मकान में जगह ना देकर उसके साथ चिपती दीवार वाले घर में स्थान दे दिया।

उसका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थीया अपने पुत्र अप्रार्थी संख्या 01 को उसके साथ मारपीट करने के लिए उकसाती है। उसने **राजकीय चिकित्सालय, श्रीगंगानगर में भर्ती होने के दौरान हुए बयान पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अप्रार्थी संख्या 01 के विरूद्ध दर्ज करवाई थी।**

उसका आगे यह भी कथन है उसका अपने अप्रार्थी संख्या 01 के साथ **सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन** है। इसलिए प्रार्थीया और अप्रार्थी संख्या 01 मिलीभगत कर उसे तंग परेशान करते है और घर से बेदखल करना चाहते है। इसलिए अपीलार्थिया की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थीया इन्द्रजीत कौर एक वरिष्ठ नागरिक है, अप्रार्थी अमरिन्द्र सिंह उनका पुत्र है और अप्रार्थी संख्या 02 रिम्पलप्रीत कौर उनकी पुत्रवधु है। अपीलार्थिया ने माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण [illegible] कल्याण अधिनियम 2007 के अन्तर्गत एक प्रकरण [illegible] था जिसमें उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने दिनांक 01.02.2023 को निम्नानुसार निर्णय पारित किया है:

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.20 16:21:32 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

दोनों पक्षों को सुना गया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के तथ्यों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया गया। भरण पोषण अधिनियम के तहत माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम की धारा 2 में वर्णित पुत्र, पुत्री, पौत्र और पौत्री किन्तु इसमें कोई अवयस्क सम्मिलित नहीं है, से ही भरण पोषण प्राप्त कर सकते है। अतः प्रार्थीया, अप्रार्थीया संख्या 2 के विरूद्ध अनुतोष पाने की अधिकारी नहीं है।

अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब के संलग्न दस्तावेज के अवलोकन से प्रार्थीया के नाम चक 5 पीपीए तहसील पदमपुर, चक 4 केके तहसील पदमपुर एवं चक 7 केके तहसील पदमपुर में कृषि भूमि होना पाया गया है। जिसका प्रार्थीया के द्वारा खण्डन नहीं किया गया। प्रार्थीया द्वारा मकान संख्या 3/48 हाऊसिंग बोर्ड, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर में प्रार्थीया की अनुमति के बिना अप्रार्थीगण को उक्त मकान में प्रवेश न करने बाबत अनुतोष चाहा है। उक्त मकान के संबंध में प्रार्थीया द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है। चूंकि प्रार्थीया के नाम से स्वयं की कृषि भूमि है, जिससे प्रार्थीया अपना [illegible] सक्षम है। अतः प्रार्थीया द्वारा [illegible] जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.20 16:21:32 IST
Reason: SelfAttested

-sd-
(मनोज कुमार मीना)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के उक्त निर्णय दिनांक 01.02.2023 की अप्रसन्नता से अपीलार्थिया ने माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 16 के तहत प्रकरण प्रस्तुत किया है और अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 01.02.2023 को निरस्त कर अपने स्वयं के मकान नम्बर 3/48, हाऊसिंग बोर्ड, जवाहर नगर श्रीगंगानगर में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करें और उसकी अनुमति के बिना प्रार्थीया के मकान में प्रवेश करने से निषिद्ध रहें।

माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 2(क)(ख) निम्न प्रकार से अवलोकनीय है:

> **2(क) "सन्तान" के अन्तर्गत पुत्र, पुत्री, पौत्र और पौत्री सम्मिलित है किन्तु अव्यस्क सम्मिलित नहीं है।**
> **2(ख) "भरण पोषण" के अन्तर्गत भोजन, कपड़े निवास और चिकित्सीय परिचर्चा और इलाज हेतु व्यवस्था सम्मिलित है,**

माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 2(क) के अनुसार **पुत्रवधु सन्तान की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है** इसलिए अप्रार्थी संख्या 2 –रिम्पलप्रीत कौर – पुत्रवधु है इसलिए **अपीलार्थिया अप्रार्थी संख्या 2 से किसी प्रकार के अनुतोष की मांग नहीं कर सकते है।**

अपीलार्थिया द्वारा अपनी अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार उक्त सम्पत्ति 3/48 हाऊसिंग बोर्ड, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर स्व. गुरनेक सिंह नाम था, जिसके दो जायज उत्तराधिकारी अपीलार्थिया इन्द्रजीत कौर एवं अप्रार्थी संख्या 01 अमरिन्द्र होने के कारण, दोनों को 1/2 –1/2 हिस्सा प्राप्त हुआ था तथा अप्रार्थी संख्या 01 अमरिन्द्र सिंह ने अपने हिस्से का 1/2 हिस्सा दिनांक 11.10.2021 को अपनी माता अपीलार्थिया इन्द्रजीत कौर के हक में परित्याग किया था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.20 16:21:32 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

विचाराधीन प्रकरण में अपीलार्थिया ने अपने पुत्र अमरिन्द्र सिंह एवं पुत्रवधु रिम्पलप्रीत कौर के विरूद्ध माता पिता एवं विरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत प्रस्तुत मकान/सम्पत्ति–3/48 हाऊसिंग बोर्ड, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर जो उसके स्वयं के नाम से है, में उसे में उसे शांति से रहने दे और बिना उसकी अनुमति के अप्रार्थीगण उसके मकान में प्रवेश करने से निषिद्ध रहें तथा **किसी प्रकार के भरण पोषण की मांग नही की।**

इस प्रकरण में यह देखा जाना है कि क्या अपीलार्थिया भरण पोषण करने में असमर्थ है और इस कारण अपने पुत्र रेस्पोडेंट अमरिन्द्र सिंह से भरण पोषण की हकदार है अथवा नहीं? इस संदर्भ में अधिनियम की धारा 4 निम्न प्रावधान है :

> **4. माता–पिता और वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण–**
>
> **(1) माता– पिता को सम्मिलित करते हुए वरिष्ठ नागरिक, जो अपने अर्जन या अपने स्वामित्वाधीन सम्पति से स्वयं का भरण–पोषण करने में असमर्थ है–**
>
> **(i) माता–पिता या पितामही, पितामाह के विषय में अपने सन्तानो में से एक या अधिक के विरूद्ध, जो अव्यस्क नही है।**
>
> **(ii) सन्तानहीन वरिष्ठ नागरिक के मामले में धारा 2 के खण्ड (छ) में निर्दिष्ट अपने ऐसे सम्बन्धी के विरूद्ध, धारा 5 के अधीन आवेदन करने का हकदार होगा।**
>
> **(2) वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण करने हेतु सन्तानो या सम्बन्धी, यथास्थिति, की बाध्यता विस्तार ऐसे नागरिको की आवश्यकता तक है, जिससे वरिष्ठ नागरिक सामान्य जीवन व्यतीत कर सके।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.20 16:21:32 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

(3) सन्तानो की उसके माता–पिता का भरण पोषण करने की आबद्धता का विस्तार ऐसे माता–पिता या पिता या माता या दोनो, यथास्थिति की आवश्यकता तक है, जिससे ऐसे माता पिता सामान्य जीवन व्यतीत कर सके।

(4) कोई व्यक्ति, जो वरिष्ठ नागरिक का सम्बन्धी है और जिसके पास पर्याप्त साधन है, ऐसे वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण करेगा, यदि वह ऐसे वरिष्ठ नागरिक की सम्पति का कब्जाधारी है या वह ऐसे वरिष्ठ नागरिक की सम्पति उतराधिकार में प्राप्त करेगाः

परन्तु जहां एक से अधिक सम्बन्धी वरिष्ठ नागरिक की सम्पति को उतराधिकार में प्राप्त करने के हकदार है, वहां भरण पोषण ऐसे सम्बन्धी द्वारा उस अनुपात में सन्देय होगा, जिसमें वे उसकी सम्पति को उतराधिकार में प्राप्त करेंगें।

उक्त अधिनियम की धारा 4 के अनुसार माता–पिता अपनी संतानो से तभी भरण पोषण प्राप्त कर सकते है, यदि वे अपने अर्जन या अपने स्वामित्वाधीन सम्पत्ति से स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ हो तो ऐसी दशा में धारा 9(2) के अनुसार 10,000/– तक भरण पोषण दिलाये जाने का प्रावधान है। किन्तु अपीलार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 23.02.2023 अन्तर्गत धारा 16 **माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 प्रस्तुत कर[illegible]कार के भरण पोषण की मांग नहीं की है जिससे स्प[illegible] भरण पोषण करने में समर्थ है।** इसलिए अपीलार्थिया माता [illegible] एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 16 के अन्तर्गत अनुतोष पाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.20 16:21:32 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

के अधिकारी नहीं है। फिर भी माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की भावनाओं को देखते हुए अप्रार्थी का प्रार्थीगण के भरण पोषण का नैतिक दायित्व है, इसलिए अप्रार्थी, प्रार्थी के सामान्य जीवन निर्वाह में कोई बाधा उत्पन्न न करें तथा अपीलार्थिया को मकान–3/48 हाऊसिंग बोर्ड, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर में तंग एवं परेशान करने से निषेध रहे।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील निस्तारित की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय आदेश की प्रति सहित पालना के लिए वापिस लौटाया जावे। आदेश की एक एक प्रति अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट को भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 05.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सौरभ स्वामी)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.20 16:21:32 IST
Reason: SelfAttested